कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र., भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 839 / 2023 / 10–11 / 4904 भोपाल, दिनांक 02-11-23

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़,
नई दिल्ली–110003

विषयः– **वन मंडल दक्षिण शहडोल के विभिन्न खसरों के रकबा 15.549 हे. राजस्व वनभूमि एवं वन मंडल उमरिया के वन कक्ष RF-227 & PF-779 के रकबा 46.488 हे. वनभूमि तथा विभिन्न खसरो की रकबा 18.553 हे. राजस्व वनभूमि कुल 80.59 हे. वनभूमि में शाहपुर पश्चिम कोल ब्लॉक अन्तर्गत भूमिगत कोयला उत्खनन तथा उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का–सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का प्रस्ताव।**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-10/2023-FC दिनांक 22 / 09 / 2023

–0–

विषयांकित परियोजना के संबंध में आपके द्वारा पत्र क्र. / 8-10/2023-FC दिनांक 22 / 09 / 2023 से 09 पर जानकारी चाही गई है। चाही गई 09 बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

i. The land use details as mentioned in the mining plan are not matching with the components proposed and mentioned in the online Part-I. Therefore; a clarification must be provided with justification.

- इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा पत्र दिनांक 06 / 10 / 2023 से लेख किया गया है कि शाहपुर पश्चिम कोल ब्लॉक के लिये संशोधित खनन योजना को दिनांक 21 / 04 / 2022 को स्वीकृति दी गई थी जिसमें सतही उपयोग के लिए 24. 299 हे. भूमि का प्रावधान किया गया था। इस 24.299 हे. भूमि में से 7.136 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि को बुनियादी ढांचे क्षेत्र (5.531 हे.), ग्रीन बैल्ट (0.428 हे.), तटबन्ध (0.282 हे.) और सड़क (0.895 हे.) के लिये सतही उपयोग का प्रावधान किया गया था और इसे वन व्यपवर्तन के ऑनलाईन प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया था।

  भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 17 / 04 / 2023 से 5.531 हेक्टेयर सतही बुनियादी ढांचे को वनभूमि से गैरवनभूमि स्थानान्तरित करने की सम्भावना का पता लगाने की राय दी गई क्योंकित यह एक साइट विशिष्ट गतिविधि क्षेत्र नही है। तद्नुसार संस्था द्वारा लेआउट प्लान को फिर से तैयार किया तथा संशोधित लेआउट प्लान अनुसार नए Component wise क्षेत्र का उल्लेख ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 में किया गया है। नए लेआउट प्लान के अनुसार सतही क्षेत्र के लिए 16.709 हैक्टेयर का प्रावधान किया गया है जो ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 में प्रस्तावित और उल्लेखित Component के अनुरूप है।

  भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 29 / 05 / 2020 (अनुलग्नक–1 पर संलग्न है) के दिशा निर्देशों के खण्ड 1.3 (बी) अनुसार परियोजना प्रस्तावकों को कम्पनी बोर्ड को लीज क्षेत्र के भीतर बुनियादी ढांचे के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार है। इस अनुमोदित संशोधित खनन योजना एवं खनन योजना अनुमोदित करने का पत्र तथा प्रमाणित बोड संकल्प की प्रति फार्म–ए के

भाग–1 में अपलोड की गई थी, इसे एक बार पुनः अनुलग्नक–2 पर संलग्न प्रस्तुत है।

ii. It is not clear whether the Green belt is different from the safety zone or otherwise. This needs clarification along with submission of KML file.

- इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि वर्तमान परियोजना भूमिगत कोयला खनन का है यद्यपि सम्पूर्ण खनन पट्टा क्षेत्र 619.00 हेक्टेयर है, सतही उपयोग केवल 16.709 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। Standard Industry Practice के अनुसार सतही सुविधाओं के लिए उपयोग किये जाने वाले क्षेत्र का 33 प्रतिशत ग्रीन बैल्ट के लिए प्रावधानित है, जबकि वर्तमान मामले में यह लगभग 48 प्रतिशत है जो पर्यावरण के बेहतर हितों के लिये है।

iii. Further, area under road & infrastructure as mentioned in the mining plan is increasing from 14.875 to 14.905 ha and details in this regard shall be submitted.

- इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि संशोधित लेआउट प्लान के अनुसार सतही उपयोग के लिए कुल 16.709 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान किया गया है जिसमें Topsoil डम्प (0.03 हे.), अन्य उपयोग हेतु (0.5 हे. सेटिंग पॉड और भूमिगत प्रवेश), इन्फ्रास्ट्रक्चर एरिया (8.159 हेक्टेयर सड़क सहित), ग्रीन बैल्ट (8.02 हेक्टेयर Embankment सहित) सम्मिलित है।

  भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 29/05/2020 (अनुलग्नक–1 पर संलग्न है) के दिशा निर्देशों के खण्ड 1.3 (बी) अनुसार परियोजना प्रस्तावक के कम्पनी बोर्ड को लीज क्षेत्र के भीतर बुनियादी ढांचे के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार है, अनुमोदित संशोधित खनन योजना एवं खनन योजना अनुमोदित करने का पत्र तथा प्रमाणित बोड संकल्प की प्रति फार्म–ए के भाग–1 में अपलोड की गई थी, इसे एक बार पुनः अनुलग्नक–2 पर संलग्न प्रस्तुत है।

iv. Progressive mine closure plan does not indicate the time and how much forest land will be biologically reclaimed at the end of mine life which needs submission.

- वर्तमान परियोजना भूमिगत कोयला खनन का है जिसमें कोई खनन गढ़डा नहीं बनाया जाएगा, इसलिए biological reclaimation प्लान की आवश्यकता नहीं है, अतः इसे माईनिंग क्लोजर प्लान में प्रस्तावित नहीं किया गया है।

  रकबा 80.59 हेक्टेयर वनभूमि में से केवल 0.895 हेक्टेयर का उपयोग सड़क के लिए किया जा रहा है, शेष 79.695 हेक्टेयर वनभूमि undisturbed रहेगी।

  खदान की अवधि समाप्त होने के पश्चात उपरोक्त 0.895 हेक्टेयर वनभूमि पर वन विभाग की देख रेख में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण कर 0.895 हेक्टेयर वन भूमि वन विभाग को लौटाने के लिए कम्पनी प्रबंधन वचनबद्ध है।

v. As per the mining plan the proposal involves the construction of embankment, settling pond etc. and mining activity will be carried out at minimum depth of 72.15 meter to maximum depth of 141.73 meter from the surface. Therefore, the comments of the water resource department shall be submitted and if any, hydrological study has been carried out in the past shall also be submitted.

- इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया है कि embankment:- पानी को खदान परिसर में प्रवेश करने से रोकने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर एरिया के लिए उपयोग की जाने वाली निजी भूमि पर embankment का निर्माण प्रस्तावित है।

सेटलिंग पॉन्ड :– केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने 29 / 12 / 2022 को जारी अनापत्ति में शर्त संख्या–28 (अनुलग्नक–4 पर संलग्न है) के तहत एडवान्स डीवाटरिंग तकनीक (डावाटरिंग एब्ट्रैक्शन संरचनाओं की श्रृंखला के निर्माण द्वारा) यानी सेटलिंग पॉन्ड का निर्माण करने हेतु निर्देशित किया है। सतही जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए तद्नुसार सेटलिंग पॉन्ड का प्रावधान किया गया हे।

हाइड्रोलॉजिकल स्टडी :– यह जुलाई 2022 में की गई है और इसके पश्चात् केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने भू–जल निकासी के लिए आनापत्ति भी जारी की है, दोनों अनुलग्नक–3 व 4 पर संलग्न है।

vi. The user agency has uploaded an incorrect KML file indicating the different 8-10/2023-FC I/53726/2023 components of the projects vis-à-vis including the components proposed to be undertaken on the Non-forest land because as per the said KML file the area of forest land proposed for diversion is found 80.90 ha instead of 80.59 ha and the total area of components proposed over the Non-forest land is found 1.61 ha instead of 15.814 ha. Moreover, the user agency has not given the attributes against each component KML file due to which it is impossible to segregate the KML files on the basis of their proposed components. Therefore a correct KML file for both forest and non-forest land showing the components shall be submiited.

- इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि प्रस्तावित वनक्षेत्र की सही KML file अपलोड कर दी गई है।

vii. Examination of KML file showing coal evacuation plan through GIS-DSS tool revealed that the road does not exist on the ground. Further the total area of the proposed road calculated through the KML file is found 7.02 ha and as per the map showing the coal evacuation plan which has been uploaded by the user agency in Part-I, the proposed path of the road is passing through the Revenue Forest land and the forest area coming under this road has not been included in the present proposal. Therefore a complete proposal involving the total requirement of forest land shall be submitted.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि कोयला परिवहन हेतु सड़क का निर्माण प्रस्तावित है।

चूँकि वर्तमान परियोजना भूमिगत कोयला उखनन का है अतः पर्यावरणीय स्वीकृति तथा वन व्यपवर्तन की अंतिम चरण अनुमति, खनि पट्टे का निष्पादन करने पश्चात निर्माण गतिविधियां शुरू की जाएगी। कोयला उत्पादन तक पहुँचने में लगभग 24 महिने लगेंगे और इसलिए कोयला परिवहन सड़क की आवश्यकता 2 वर्ष के पश्चात् होगी।

चूँकि कोयला ब्लॉक के विकास के लिए अन्य Mile stones निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाने है, इसलिए अनुरोध है कि दोनों प्रकरणों को पृथक–पृथक माना जाये।

viii. The undertaking from the user agency to bear the 2% cost of project towards wildlife management plan and cost towards chain link fencing for the proposed forest land as recommend by the PCCF, Wildlife shall be submitted.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो अनुलग्नक–6 पर संलग्न है।

viii. The undertaking from the user agency to bear the 2% cost of project towards wildlife management plan and cost towards chain link fencing for the proposed forest land as recommend by the PCCF, Wildlife shall be submitted.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो अनुलग्नक–6 पर संलग्न है।

ix. Earlier, it was noticed during the examination of the proposal through DSS that the user agency has not sought the diversion of forest land in the Compt No. 780, Block: Kathoutiya, Shahdol Range located on the south-eastern corner of the Mining lease. But the State Govt. has now clarified that the said forest patch does not comes in the Mining lease. However the forest compartment boundaries available on DSS were submitted by the State Govt. to the FSI, Dehradun for their uploading on the DSS portal and as per DSS analysis, a protected forest (PF) patch i.e. Compt No. 780, Block: Kathoutiya, Shahdol Range located on the south-eastern corner of the Mining lease has not been included in the instant diversion proposal. It has been directed that either boundaries on the DSS should be corrected or else the state should submit the revised proposal including the said forest patch.

- इस बिन्दु के सम्बन्ध में लेख है कि वन मंडल अधिकारी दक्षिण शहडोल ने पत्र दिनांक 18/10/2023 से प्रतिवेदित किया है कि दक्षिण शहडोल वन मंडल के बीट कठौतिया का वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.–780 प्रस्तावित खदान की लीज की सीमा से 25 मीटर दूर है।
- वर्तमान में वन मंडल अधिकारी दक्षिण शहडोल द्वारा मौके पर जाकर किये गये स्थल निरीक्षण अनुसार तैयार की गई सही KML File को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना/प्रौद्योगिकी) शाखा भोपाल को प्रेषित कर FSI देहरादून को सुधार हेतु भेजने का लेख किया गया है जो इस प्रकरण में द्वितीय चरण स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व सुधार करा लिया जावेगा।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

02.11.23

(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–1/839/2023/10–11/4905 भोपाल, दिनांक 2-11-23

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त, शहडोल, मध्य प्रदेश ।
2 वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, दक्षिण शहडोल/उमरिया, मध्यप्रदेश।
3 मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, रायपुर (छत्तीसगढ़)

02.11.23

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

o/c

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल

जिला-शहडोल ४८४००१ (मध्यप्रदेश)

फोन (कार्या–240304) (निवास–241443) (फैक्स–240304) ई–मेल– dfotsshahd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2023/ 2347   शहडोल, दिनांक : 18/10/2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
वन भवन भोपाल

विषय– वन मंडल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र शहडोल के विभिन्न खसरों के रकबा 15.549 हे. राजस्व वनभूमि एवं वन मंडल उमरिया के परिक्षेत्र घुनघुटी के वन कक्ष RF-227 & PF-779 के रकबा 46.488 हे. तथा विभिन्न खसरो की रकबा 18.553 हे राजस्व वनभूमी कुल रकबा 80.59 हे. वनभूमी में शाहपुर पश्चिम कोल ब्लाक अंतर्गत भूमिगत कोयला उत्खनन तथा उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का – मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, रायपुर (छत्ती) का प्रस्ताव ।

सन्दर्भ :– 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय नई दिल्ली का पत्र क्र-/8-10/2023 एफ.सी. दिनांक 22.09.2023

2. आपका पत्र क्रमांक/एफ–1/839/2023/10–11/4317 दिनांक 26.09.2023

3. मे. सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्र./21 दिनांक 06.10.2023

-------0000------

निवेदन है कि संदर्भित पत्र क्र. 1 से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में 9 बिन्दुओ की जानकारी चाही गई थी, जिसमे संदर्भित पत्र क्रमांक–2 से बिंदु क्रमांक I से VIII तक की जानकारी आवेदक संस्थान से टेब्युलर फार्म में प्राप्त कर एवं बिंदु क्रमांक IX के संबंध में मौका स्थल की जॉच कर प्रतिवेदन अभिमत सहित भेजने हेतु निर्देश दिए गए है ।

भारत सरकार के बिंदु क्रमांक IX के परिपालन में मौका स्थल की जांच हेतु उप वनमंडलाधिकारी सोहागपुर को लेख किया गया। उप वनमण्डलाधिकारी सोहागपुर एवं संबंधित वन स्टाफ तथा आवेदक संस्थान के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनॉक 04.10.2023 को जॉच किया गया जिसमे वन भूमि कक्ष क्रमांक PF 780 एवं शाहपुर पश्चिम कोल खदान की माइनिंग लीज की सीमा का मिलान किया गया एवं माइनिंग लीज की सीमा 25 मीटर की दूरी पर पायी गई। वन भूमि कक्ष क्रमांक PF 780 की मौके से के.एम.एल. फाइल, माइनिंग लीज सीमा से वन भूमि के समीपी मुनारो एवं माइनिंग लीज के मुनारो का मिलान किया गया तथा स्थल की फोटोग्राफ्स लेकर उप वनमंडलाधिकारी सोहागपुर ने अपने पत्र क्रमांक /3917 दिनांक 05.10.2023 से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। मौका निरिक्षण के दौरान बिन्दुवार निम्नानुसार तथ्य पाए गए :–

1) शाहपुर पश्चिम कोल ब्लाक की माइनिंग लीज की के.एम.एल. फाइल का मौके से मिलान किया गया जिसके अनुसार माइनिंग लीज की के.एम.एल. फाइल सही पायी गई ।

2) मौके के अनुसार वन भूमि कक्ष क्रमांक PF 780 शाहपुर पश्चिम कोल ब्लाक की माइनिंग लीज की सीमा से 25 मीटर दूरी पर स्थित है एवं कोल ब्लाक की दक्षिण पूर्वी सीमा राजस्व के खसरो पर स्थित है । वन भूमि कक्ष क्रमांक PF 780 वन विभाग के मानचित्र के अनुसार भी शाहपुर पश्चिम कोल ब्लाक की माइनिंग लीज

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

की सीमा से 25 मीटर दूरी पर स्थित है। मानचित्र में दूरी मार्क कर ऑन लाईन भाग–II में पूर्व मेंअपलोड किया जा चुका है।

3) वन भूमि कक्ष क्रमांक PF 780 शाहपुर पश्चिम कोल ब्लाक की माइनिंग लीज की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। अतः वन मण्डल दक्षिण शहडोल अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 15.549 हे रकबे में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

4) वन भूमि कक्ष क्रमांक PF 780 की वन विभाग की के.एम.एल. फाइल एवं मौके का मिलान करने पर वन विभाग की के.एम.एल. फाइल में शिफ्टिंग पाई गई है। कक्ष क्रमांक PF 780 की मौके से सी.पी.टी. एवं मुनारो के अनुसार PF780 कीके.एम.एल. फाइल तैयार की गई। मौके के अनुसार तैयार की गई के.एम.एल. के रकबे का कक्ष क्रमांक PF 780 के रकबे से मिलान होता है एवं शाहपुर पश्चिम कोल ब्लाक की माइनिंग लीज की सीमा से इसकी दूरी 25 मीटर है ।

संदर्भित पत्र क्रमांक–3 से आवेदक संस्थान द्वारा बिन्दु क्रमांक–I से VIII तक की जानकारी टैब्युलर फार्म में तैयार कर ऑनलाईन भाग–I में अपलोड कर दिया गया है, एवं बिन्दु क्रमांक–IX के संबंध में वन भूमि कक्ष क्रमांक PF 780की मौके की के0एम0एल0 फाईल ऑनलाईन भाग–I में अपलोड करायी गई है। जानकारी की हार्डकॉपी 04 प्रतियों में इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः अनुरोध है कि आवेदक संस्थान से टैब्युलर फार्म में प्राप्त बिन्दु क्रमांक–I से VIII तक एवं बिन्दु क्रमांक–IX की जानकारी तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर हार्डकॉपी 02 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(श्रद्धा पन्द्रे)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल दक्षिण शहडोल

पृ.क्रमांक/मा.चि./2023/ शहडोल, दिनांक : /2023

प्रतिलिपि :-1. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ संलग्न सादर सम्प्रेषित।

2. मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
संलग्न – उपरोक्तानुसार अनुक्रमांक–1 के लिये।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल दक्षिण शहडोल

I:\LATTER DM 2023.docx595 veerendra mishra 12:22PM 18.06.2023

Industrial Growth Center, Siltara
Raipur (CG) 493111, India
Tel: +91 771 2216100
Fax : +91 771 2216198/99
PAN No.: AACR6149L
CIN : L27100MH1973PLC 016617
www.seml.co.in
info@seml.co.in

An ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 Certified Company

ANAB ACCREDITED

SARDA
SARDA ENERGY & MINERALS LTD.

क्र./SEML/SW/FC/21 दिनांक – 06.10.2023

प्रति,

1) वन मंडल अधिकारी
सामान्य वन मंडल, दक्षिण शहडोल (म.प्र.)
2) वन मंडल अधिकारी
सामान्य वन मंडल, उमरिया (म.प्र.)

शाखा :- D.M.
दिनांक :- 9/10/23
मु.लि. व०म०अ०

विषय - वन मंडल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र शहडोल के विभिन्न खसरों के रकबा 15.549 हे. राजस्व वनभूमि एवं वन मंडल उमरिया के परिक्षेत्र घुनघुटी के वन कक्ष RF-227 & PF-779 के रकबा 46.488 हे. तथा विभिन्न खसरो की रकबा 18.553 हे राजस्व वनभूमि कुल रकबा 80.59 हे. वनभूमि में शाहपुर पश्चिम कोल ब्लाक अंतर्गत भूमिगत कोयला उत्खनन तथा उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का – मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, रायपुर (छत्ती) का प्रस्ताव ।

सन्दर्भ – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध), मध्य प्रदेश, भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-/839/2023/10-11/4318 भोपाल, दिनांक 26/09/2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी टेब्युलर फॉर्म में तैयार कर परिवेश पोर्टल के भाग – 1 के एडिशनल डाक्यूमेंट्स में अपलोड करते हुए तीन प्रतियों में सादर संप्रेषित है । कृपया प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

वास्ते, सारडा एनर्जी & मिनरल्स लिमिटेड,

6/X/2023

एस. एस. श्रीवास्तव
उपाध्यक्ष – कोल माइंस

SARDA ENERGY ... RAIPUR

प्रतिलिपि-:

1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध), भोपाल, मध्य प्रदेश
2) मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त, शहडोल, मध्य प्रदेश

11860
10/10/23

Point wise reply to the observations dated 22.09.2023

S.No	Observation	Reply
i	The land use details as mentioned in the mining plan are not matching with the components proposed and mentioned in the online Part-I. Therefore; a clarification must be provided with justification.	The Modified Mining Plan for Sahapur West Coal Block was approved on 21.04.2022 wherein 24.299 Ha of land was provisioned for surface utilization. Out of this 24.299 Ha, 7.136 Ha of Revenue Forest Land was provisioned for Surface Utilization for Infrastructure Area (5.531 Ha), Green Belt (0.428 Ha), Embankment (0.282 ha) and Road (0.895 Ha) and the case for Forest Diversion involving the above was submitted online over Parivesh Portal. Forest Conservation Division, MoEF & CC, GoI, New Delhi vide letter dated 17.04.2023 opined to explore the possibility of shifting of 5.531 Ha Infrastructure Area from Forest Land to Non-Forest Land as it is not a site specific activity. Accordingly the surface layout was reframed by SEML and as per the revised layout the new component wise area has been mentioned in the online Part-I. As per the new layout total 16.709 Ha is provisioned for surface utilization which is in line with the components proposed and mentioned in the online Part-I. As per Clause 1.3 (B) of the Guidelines issued by Ministry of Coal, Govt. of India dated 29th May 2020 (Copy enclosed as **Annexure-I**), the Company Board of the project proponent is empowered to make changes in the location of infrastructure within the leased area; Copy of certified Board Resolution was also added with the approved Revised Mining Plan and is uploaded in Additional Documents of Part I of Form A. The same has also been mentioned in the Reply of EDS raised by Nodal Officer dated 26.04.2023. It is once again enclosed as **Annexure-II**.
ii	It is not clear whether the Green belt is different from the safety zone or otherwise. This needs clarification along with submission of KML file.	The instant case is of Underground Coal Mine. Though the entire Mining Lease area is of 619.000 Ha, Surface Utilization is of only 16.709 Ha. As per Standard Industry Practice 33% of the area utilized for Surface Facilities is provisioned towards Green Belt whereas in the present case it is around 48 % which is towards better interests of the Environment.
iii	Further, area under road & infrastructure as mentioned in the mining plan is increasing from 14.875 to 14.905 ha and details in this regard shall be submitted.	As per the new layout total of 16.709 Ha is provisioned for surface utilization comprising of Topsoil Dump (0.03 Ha), Other Use (0.5 settling Pond and UG entry), Infrastructure Area (8.159 Ha Including Roads), Green Belt (8.02 Including Embankment). As per Clause 1.3 (B) of the Guidelines issued by Ministry of Coal, Govt. of India

SARDA ENERGY & MINERALS LTD ★ RAIPUR ★

		dated 29th May 2020 (Copy enclosed as **Annexure-I**), the Company Board of the project proponent is empowered to make changes in location of infrastructure within the leased area; Copy of certified Board Resolution was also added with the approved Revised Mining Plan and is uploaded in Additional Documents of Part I of Form A. The same has also been mentioned in the Reply of EDS raised by Nodal Officer dated 26.04.2023. It is once again enclosed as **Annexure-II**.
iv	Progressive mine closure plan does not indicate the time and how much forest land will be biologically reclaimed at the end of mine life which needs submission.	The instant case is of Under Ground Coal Mining; no Mining Pits will be created hence no biological reclamation is required therefore not proposed in Mine Closure Plan. Out of 80.590 Ha Forest Land only 0.895 Ha is being utilized for Road, rest 79.695 ha Forest Land will remain undisturbed. At the end of Mine life, we undertake to plant adequate number of trees on above mentioned 0.895 Ha Forest Land under supervision of State Forest Department before returning the land back to the Forest Department.
v	As per the mining plan the proposal involves the construction of embankment, settling pond etc. and mining activity will be carried out at minimum depth of 72.15 meter to maximum depth of 141.73 meter from the surface. Therefore, the comments of the water resource department shall be submitted and if any, hydrological study has been carried out in the past shall also be submitted	**Embankment** - The embankment is proposed to be constructed on the private land to be utilized for Surface Infrastructure to prevent flood water from entering into the Mine premises. **Settling Pond**- Central Ground Water Authority vide condition no 28 of the NoC issued on 29.12.2022 (Copy Enclosed as **Annexure IV**) has provided for use of the advance dewatering technology (by construction of series of dewatering abstraction structures) *i.e. Settling Ponds in the instant case* to avoid Contamination of surface water and accordingly Settling Ponds have been provisioned. **Hydrological Study** - It has been carried out in the July 2022 and subsequently Central Ground Water Authority has also issued NoC for Ground Water Abstraction, both are enclosed herewith as **Annexure III & IV**.
vi	The user agency has uploaded an incorrect KML file indicating the different components of the projects vis-à-vis including the components proposed to be undertaken on the Non-forest land because as per the said KML file the area of forest land proposed for diversion is found 80.90 ha instead of 80.59 ha and the total area of components proposed over the Non-forest land is found 1.61 ha instead of 15.814 ha. Moreover, the	Correct KML file has been uploaded. The area of Forest Land has been measured in square meters and hectare, as well. In Google Earth software the area in square meters is tallying but it considers, by default, the area less than 500 square meters as 0 hectare and 501 to 999 square meters as 0.1 hectare. Hence when the area is measured in square meters and converted into hectare (dividing by 10000) exact area is derived, but difference is observed when the area is measured in Ha in Google Earth. The total area under surface utilization of Sahapur West Coal Block is 16.709 Ha, out of which 0.895 Ha is Forest Land for Road and remaining 15.814 Ha is Non-Forest Land.

SARDA ENERGY & MINERALS LTD. ★ RAIPUR ★

	user agency has not given the attributes against each component KML file due to which it is impossible to segregate the KML files on the basis of their proposed components. Therefore a correct KML file for both forest and non-forest land showing the components shall be submitted.	The components under surface utilization area are Topsoil Dump - 0.03 Ha, Infrastructure Area - 5.378 Ha, Green Belt including Embankment - 8.02, Settling Pond - 0.2 Ha, UG Entry - 0.3 Ha and Road 2.781 - Ha. The Infrastructure Area 5.378 Ha involves Coal Stock Yard, Canteen, Workshop, Offices, Administrative Buildings, Lamp Room, VTC, Weigh Bridge, Electrical Sub-Station, Diesel Bunk, Time Office, Rest Shelter, ETP, Store, DG Room, Parking, First Aid Room, Rescue Room, Dispensary, Laboratory, Bunker, Hopper, Explosive Magazine, WTP, etc and the remaining area of the plots of Non Forest Land (i.e. the open spaces left after construction of above facilities).
vii	Examination of KML file showing coal evacuation plan through GIS-DSS tool revealed that the road does not exist on the ground. Further the total area of the proposed road calculated through the KML file is found 7.02 ha and as per the map showing the coal evacuation plan which has been uploaded by the user agency in Part-I, the proposed path of the road is passing through the Revenue Forest land and the forest area coming under this road has not been included in the present proposal. Therefore a complete proposal involving the total requirement of forest land shall be submitted.	The Coal Transportation Road is proposed to be constructed. As the instant case is of Underground Coal Mining, after obtaining EC, Final Approval under FCA, execution of Mining Lease, the construction activities will start which shall take around 24 months to reach to Coal Production and hence Coal Transportation Road will be required after around 2 years. Accordingly, the diversion of Revenue Forest Land will be sought separately and an undertaking affirming to non-utilization of such Revenue Forest Land beyond the mining lease area without obtaining its Forest Clearance is enclosed as **Annexure V**. Since other Milestones for development of Coal Block are to be completed within prescribed time limits, it is requested that both the FC cases may kindly be treated separately.
viii	The undertaking from the user agency to bear the 2% cost of project towards wildlife management plan and cost towards chain link fencing for the proposed forest land as recommend by the PCCF, Wildlife shall be submitted.	Undertaking is enclosed as **Annexure VI**.
ix	Earlier, it was noticed during the examination of the proposal through DSS that the user agency has not sought the diversion of forest land in the Compt No. 780, Block: Kathoutiya, Shahdol Range	To be complied by the State Forest Department.

SARDA ENERGY & MINERALS LTD. ★ RAIPUR ★

	located on the south-eastern corner of the Mining lease. But the State Govt. has now clarified that the said forest patch does not comes in the Mining lease. However the forest compartment boundaries available on DSS were submitted by the StateGovt. to the FSI, Dehradun for their uploading on the DSS portal and as per DSS analysis, a protected forest (PF) patch i.e. Compt No. 780, Block: Kathoutiya, Shahdol Range located on the south-eastern corner of the Mining lease has not been included in the instant diversion proposal. It has been directed that either boundaries on the DSS should be corrected or else the state should submit the revised proposal including the said forest patch.	

For, **Sarda Energy & Minerals Limited,**

6/X/2023

S.S. Shrivastava
Vice President – Coal Mines

SARDA ENERGY & MINERALS LTD. ★ RAIPUR ★

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र., भोपाल

क्रमांक / F-1/839/2023/10-11/4903 भोपाल, दिनांक 02-11-23

प्रति,

डॉ. बी.एस. अन्निगिरी,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (सूचना / प्रौद्योगिकी)
वन भवन, भोपाल, म.प्र.।

विषयः– वन मंडल दक्षिण शहडोल के विभिन्न खसरों के रकबा 15.549 हे. राजस्व वनभूमि एवं वन मंडल उमरिया के वन कक्ष RF-227 & PF-779 के रकबा 46.488 हे. वनभूमि तथा विभिन्न खसरो की रकबा 18.553 हे. राजस्व वनभूमि कुल 80.59 हे. वनभूमि में शाहपुर पश्चिम कोल ब्लॉक अन्तर्गत भूमिगत कोयला उत्खनन तथा उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का–सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का प्रस्ताव।

----0----

विषयान्तर्गत लेख है कि मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, रायपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन मंडल दक्षिण शहडोल के रकबा 15.549 हे. राजस्व वनभूमि एवं वन मंडल उमरिया के रकबा 65.041 हेक्टेयर वनभूमि में कोयला उत्खनन कार्य हेतु वनभूमि व्यपवर्तन का ऑनलाईन प्रस्ताव FP/MP/MIN/151378/2022 प्रस्तुत किया गया था जिसे इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20 / 03 / 2023 से भारत सरकार, पर्यावरण वन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था।

भारत सरकार, पर्यावरण वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक 8-10/2023-FC दिनांक 22 / 09 / 2023 से वन मंडल दक्षिण शहडोल में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तावित की गई वनभूमि के सम्बन्ध में निम्नानुसार आपत्ति ली गई हैः–

ix. Earlier, it was noticed during the examination of the proposal through DSS that the user agency has not sought the diversion of forest land in the Compt No. 780, Block: Kathoutiya, Shahdol Range located on the south-eastern corner of the Mining lease. But the State Govt. has now clarified that the said forest patch does not comes in the Mining lease. However the forest compartment boundaries available on DSS were submitted by the State Govt. to the FSI, Dehradun for their uploading on the DSS portal and as per DSS analysis, a protected forest (PF) patch i.e. Compt No. 780, Block: Kathoutiya, Shahdol Range located on the south-eastern corner of the Mining lease has not been included in the instant diversion proposal. It has been directed that either boundaries on the DSS should be corrected or else the state should submit the revised proposal including the said forest patch.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में वन मंडल अधिकारी, दक्षिण शहडोल द्वारा पत्र क्रमांक / 2347 दिनांक 18 / 10 / 2023 से अवगत कराया गया है कि दक्षिण शहडोल वन मंडल की कठौतिया बीट का वन कक्ष क्रमांक PF-780 की वन विभाग की KML File एवं मौके का मिलान करने पर वन विभाग की KML File में शिफ्टिंग पाई गई है। कक्ष क्रमांक PF-780 की मौके से सी.पी.टी. एवं मुनारों के अनुसार PF-780 की KML File तैयार की गई। मौके अनुसार तैयार की गई KML File के रकबे का वन कक्ष क्रमांक PF-780 के रकबे से मिलान होता है एवं शाहपुर पश्चिम कोल ब्लॉक की माईनिंग लीज की सीमा से इसकी दूरी 25 मीटर है। प्रति संलग्न है।

o/c

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में लेख है कि श्री टी.एस. चतुर्वेदी द्वारा अवधि वर्ष 2018–19 से 2027–28 तक तैयार की गई अनुमोदित प्रचलित कार्य/प्रबंध आयोजना (DSS) में सुधार हेतु दक्षिण वन मंडल शहडोल अन्तर्गत शाहपुर पश्चिम कोल ब्लॉक की माईनिंग लीज की KML File एवं कठौतिया बीट के अनुसार वन कक्ष क्र PF-780 की सही KML File तैयार की गई है जो संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि इसे FSI देहरादून को DSS में सुधार करने हेतु सम्प्रेषित करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

02.11.23

(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल

जिला-शहडोल ४८४००१ (मध्यप्रदेश)

फोन (कार्या–240304) (निवास–241443) (फैक्स–240304) ई–मेल– dfotsshahd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2023/ 2347

शहडोल, दिनांक :18/10/2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
वन भवन भोपाल

विषय– वन मंडल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र शहडोल के विभिन्न खसरों के रकबा 15.549 हे. राजस्व वनभूमि एवं वन मंडल उमरिया के परिक्षेत्र घुनघुटी के वन कक्ष RF-227 & PF-779 के रकबा 46.488 हे. तथा विभिन्न खसरो की रकबा 18.553 हे राजस्व वनभूमी कुल रकबा 80.59 हे. वनभूमी में शाहपुर पश्चिम कोल ब्लाक अंतर्गत भूमिगत कोयला उत्खनन तथा उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का – मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, रायपुर (छत्ती) का प्रस्ताव ।

सन्दर्भ :– 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय नई दिल्ली का पत्र क्र-/8-10/2023 एफ.सी. दिनांक 22.09.2023

2. आपका पत्र क्रमांक/एफ–1/839/2023/10–11/4317 दिनांक 26.09.2023

3. मे. सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्र./21 दिनांक 06.10.2023

------0000------

निवेदन है कि संदर्भित पत्र क्र. 1 से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में 9 बिन्दुओ की जानकारी चाही गई थी, जिसमे संदर्भित पत्र क्रमांक–2 से बिंदु क्रमांक I से VIII तक की जानकारी आवेदक संस्थान से टेब्युलर फार्म में प्राप्त कर एवं बिंदु क्रमांक IX के संबंध में मौका स्थल की जॉच कर प्रतिवेदन अभिमत सहित भेजने हेतु निर्देश दिए गए है ।

भारत सरकार के बिंदु क्रमांक IX के परिपालन में मौका स्थल की जांच हेतु उप वनमंडलाधिकारी सोहागपुर को लेख किया गया। उप वनमण्डलाधिकारी सोहागपुर एवं संबंधित वन स्टाफ तथा आवेदक संस्थान के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनॉक 04.10.2023 को जॉच किया गया जिसमे वन भूमि कक्ष क्रमांक PF 780 एवं शाहपुर पश्चिम कोल खदान की माइनिंग लीज की सीमा का मिलान किया गया एवं माइनिंग लीज की सीमा 25 मीटर की दूरी पर पायी गई। वन भूमि कक्ष क्रमांक PF 780 की मौके से के.एम.एल. फाइल, माइनिंग लीज सीमा से वन भूमि के समीपी मुनारो एवं माइनिंग लीज के मुनारो का मिलान किया गया तथा स्थल की फोटोग्राफ्स लेकर उप वनमंडलाधिकारी सोहागपुर ने अपने पत्र क्रमांक /3917 दिनांक 05.10.2023 से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। मौका निरिक्षण के दौरान बिन्दुवार निम्नानुसार तथ्य पाए गए :–

1) शाहपुर पश्चिम कोल ब्लाक की माइनिंग लीज की के.एम.एल. फाइल का मौके से मिलान किया गया जिसके अनुसार माइनिंग लीज की के.एम.एल. फाइल सही पायी गई ।

2) मौके के अनुसार वन भूमि कक्ष क्रमांक PF 780 शाहपुर पश्चिम कोल ब्लाक की माइनिंग लीज की सीमा से 25 मीटर दूरी पर स्थित है एवं कोल ब्लाक की दक्षिण पूर्वी सीमा राजस्व के खसरो पर स्थित है । वन भूमि कक्ष क्रमांक PF 780 वन विभाग के मानचित्र के अनुसार भी शाहपुर पश्चिम कोल ब्लाक की माइनिंग लीज

की सीमा से 25 मीटर दूरी पर स्थित है। मानचित्र में दूरी मार्क कर ऑन लाईन भाग–II में पूर्व मेंअपलोड किया जा चुका है।

3) वन भूमि कक्ष क्रमांक PF 780 शाहपुर पश्चिम कोल ब्लाक की माइनिंग लीज की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। अतः वन मण्डल दक्षिण शहडोल अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 15.549 हे रकबे में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

4) वन भूमि कक्ष क्रमांक PF 780 की वन विभाग की के.एम.एल. फाइल एवं मौके का मिलान करने पर वन विभाग की के.एम.एल. फाइल में शिफ्टिंग पाई गई है। कक्ष क्रमांक PF 780 की मौके से सी.पी.टी. एवं मुनारो के अनुसार PF780 कीके.एम.एल. फाइल तैयार की गई। मौके के अनुसार तैयार की गई के.एम.एल. के रकबे का कक्ष क्रमांक PF 780 के रकबे से मिलान होता है एवं शाहपुर पश्चिम कोल ब्लाक की माइनिंग लीज की सीमा से इसकी दूरी 25 मीटर है ।

संदर्भित पत्र क्रमांक–3 से आवेदक संस्थान द्वारा बिन्दु क्रमांक–I से VIII तक की जानकारी टैब्युलर फार्म में तैयार कर ऑनलाईन भाग–I में अपलोड कर दिया गया है, एवं बिन्दु क्रमांक–IX के संबंध में वन भूमि कक्ष क्रमांक PF 780की मौके की के0एम0एल0 फाईल ऑनलाईन भाग–I में अपलोड करायी गई है। जानकारी की हार्डकॉपी 04 प्रतियों में इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः अनुरोध है कि आवेदक संस्थान से टैब्युलर फार्म में प्राप्त बिन्दु क्रमांक–I से VIII तक एवं बिन्दु क्रमांक–IX की जानकारी तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर हार्डकॉपी 02 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(श्रद्धा प्रन्द्रे)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल दक्षिण शहडोल

पृ.क्रमांक/मा.चि./2023/ शहडोल, दिनांक : /2023

प्रतिलिपि :-1. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ संलग्न सादर सम्प्रेषित।

2. मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुक्रमांक–1 के लिये।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल दक्षिण शहडोल

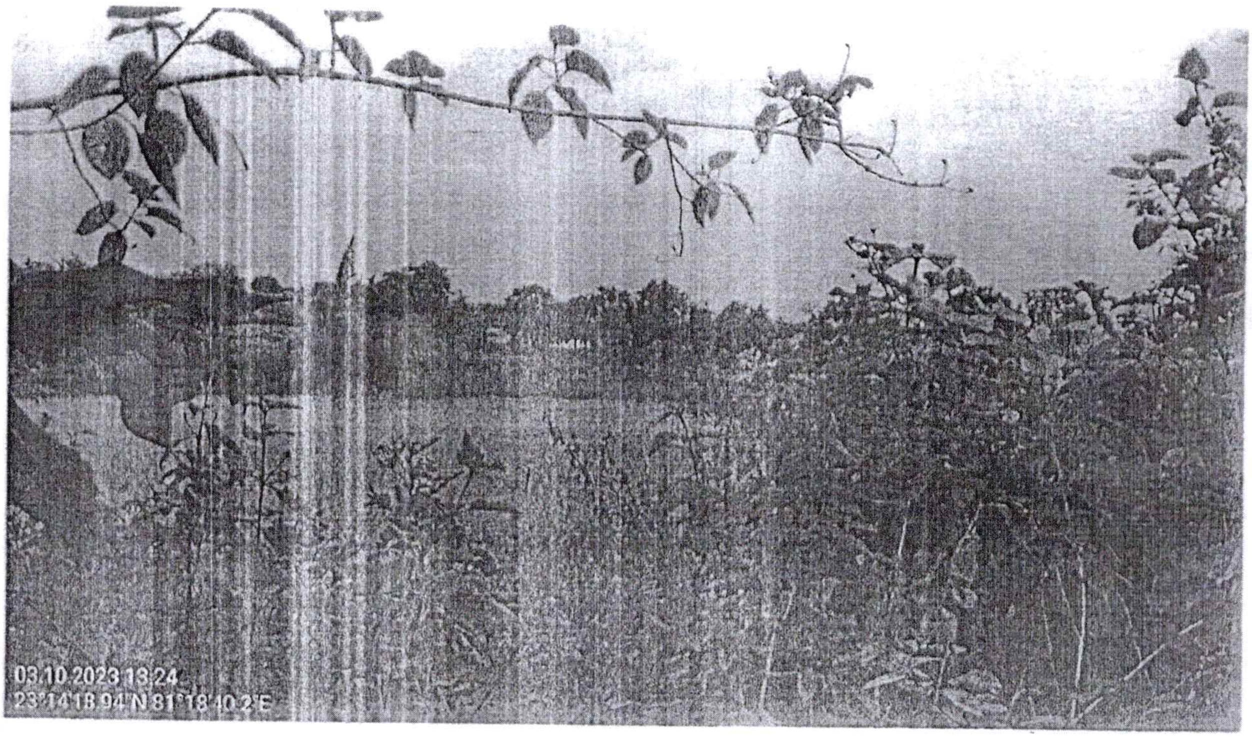
03.10.2023 13:24
23°14'18.94"N 81°18'10.2"E

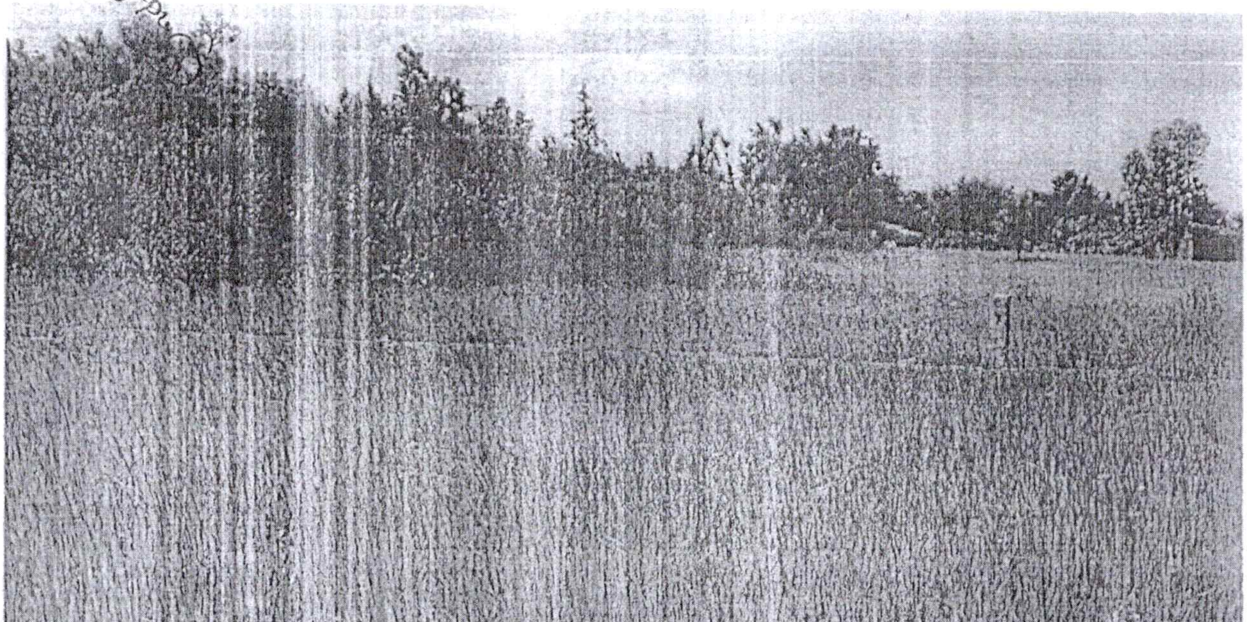
04.10.2023 10:39
23°14'19.86"N 81°18'40.91"E